

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल—ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(473/41)2021/एफसीए/प्रमुखसं/ 284

दिनांक 27/1/25

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:—Diversion of 0.1262 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Suratgarh-Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23; Village-2 DOB, Tehsil-Suratgarh, Dist. Sri Ganganagar, Raj.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/140718/2021)

सन्दर्भ:—राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(19)वन/2022 दिनांक 14.03.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के पत्रांक 470 दिनांक 15.01.2025 से प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार प्रेषित है:—

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु राशि कैम्पा निधि में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- सी.ए. (100 sampling) राशि - 1,03,600/- यू.टी.आर. नं. - SBIN22227287640 दिनांक - 29.09.2022 (प्रति संलग्न)
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.1262 हैक्टेयर हेतु एन.पी.वी. राशि कैम्पा निधि में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- एन.पी.वी. राशि - 84572/- यू.टी.आर. नं. - SBIN22227287640 दिनांक - 29.09.2022 (प्रति संलग्न) CA - 103,600/- NPV - 84572/- TOTAL - 188,172/-

13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिये गये हैं। (प्रति संलग्न) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न:- उक्तानुसार

भवदीय,


 (के.सी.ए. अरुण प्रसाद)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(473/41)2021/एफसीए/प्रमुवसं/
 प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।


 (दिनेश कुमार गुप्ता)
 उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
 अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

E-mail - ccf.bknr.forest@rajasthan.gov.in & Phone: Office 0151-2200321 कोटी नं.8 केम्पस, बीकानेर-334001(राज.)

क्रमांक : एफ12(320)सर्वे/संमुखस/2021-22/00547/ ५५०

दिनांक : 15/01/2023

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.1262 ha of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. for construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Suratgarh Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage-46/002 - 46/037) RHS in Murabba No. 19, Pathar No. 4/37, Kila No. 23 Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District - Sri ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Road/140718/2021)
संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्र दिनांक 14.03.2022 एवं उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर का पत्रांक 222 दिनांक 10.01.2025 के क्रम में।

महोदय,

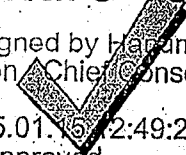
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि Proposal No. FP/RJ/Road/140718/2021 में राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्र दिनांक 14.03.2022 से जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 222 दिनांक 10.01.2025 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित है :-

Online Proposal Number: - FP/RJ/Road/140718/2021

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Harimana Ram
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2025.01.15 12:49:23 IST
Reason: Approved



	निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु राशि कैम्पा निधि में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- सी.ए. (100 sampling) राशि - 1,03,600/- यूटी.आर. नं. - SBIN22227287640 दिनांक - 29.09.2022 (प्रति संलग्न)
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित <u>0.1262 हैक्टेयर</u> हेतु एन.पी.वी. राशि कैम्पा निधि में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- एन.पी.वी. राशि - 84,572/- यूटी.आर. नं. - SBIN22227287640 दिनांक - 29.09.2022 (प्रति संलग्न)

Signature valid

Digitally signed by Harshmana Ram
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2025.01.15 12:49:23 IST
Reason: Approved

	छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन. पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाएं तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिये गये हैं। (प्रति संलग्न) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न :- मूल पत्रावली 2 मय 12 कॉलम प्रपत्र।

(हनुमाना राम)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

क्रमांक : एफ12(320)सर्वे/संमुखसं/2021-22/00547/ 15-1-72
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 15/01/2025

1. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
2. Chief Regional Manager, HPCL, Tel Bhawan, Sahakar marg, Jyoti Nagar, jaipur Rajasthan. {Email : hpcl16lks@gmail.com}

Signature valid

Digitally signed by Hanumana Ram
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2025.01.15 12:49:23 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

(Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in

Phone & Fax No. 0154-2472339)

क्रमांक :- एफ()सर्वे/उवस/2022-23/ 222

दिनांक :- 10/01/25

सेवामें,

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महोदय,
बीकानेर (राज.)

विषय :- अनुपालना रिपोर्ट तहसील सूरतगढ, गांव 2 डीओ-बी के मुरब्बा नु0 19, पत्थर नं. 4/37, किला नं0 23 में पत्थर नं0 46-47 (चैनेज : 46/002- 46/037) जिला श्रीगंगानगर में रूपान्तरित भूमि में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर आवागमन हेतु सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

Proposal No. (FP/RJ/ROAD/140718/2021)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार का पत्रांक प.1(19)वन/2022 जयपुर दिनांक 14.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1(19)वन/2022 जयपुर दिनांक 14.03.2022 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र. सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Designation Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2025.01.10 17:11:14 IST
Reason: Approved



	होने पर, वन विभाग के होंगे।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल, पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,03,600/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 29/09/2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2025.01.10 17:11:14 IST
Reason: Approved

	जायेगी।	
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 84,572/- रुपये दिनांक 29/09/2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय, कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2025.01.10 17:11:14 IST
Reason: Approved

15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे दिये गए हैं। प्रति संलग्न है।
----	---	--

संलग्न :- उक्तानुसार - पत्रावली-2।

भवदीय

(रमेश कुमार)
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

दिनांक :- 10/01/25

क्रमांक :- सम/223

प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज0 जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2025.01.10 17:11:14 IST
Reason: Approved

Deputy Conservator of Forest, Sri Ganganagar (Rajasthan)

Pro Forma For Verification Of Deposits In Compensatory Afforestation Fund

1	Name of Regional Office	Regional Chief Conservator of Forest, Bikaner					
2	State/District/Forest Division to which the Proposal Relates	Rajasthan/Sri Ganganagar/ Sri Ganganagar					
3	Name of User Agency	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.					
4	Nature and Category of Proposal:	Online, Approach					
5	Proposal Number	FP/RJ/Approach/140718/2021					
6	Extent of Forest area involved	0.1262 hact.					
7	Whether original or extension	Original					
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area and if so, specify	No					
9	Date of 1 st Stage Clearance.	Date 14-03-2022					
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz	-					
(a)	Compensatory Afforestation	Rs. 1,03,600/-					
(b)	Additional Compensatory Afforestation	-					
(c)	Penal Compensatory Afforestation	-					
(d)	Catchment Area Treatment	-					
(e)	Wildlife Management Plan	-					
(f)	Additional Charges for Diversion of area falling under notified/protected areas	-					
(g)	Net Present Value	Rs. 84,572/-					
(h)	Any other Charges Levies (Please Specify)	-					
Total		1,88,172/-					
11	Whether payment made through challan or otherwise, In case of Online payment, details of challan.	Online					
12	Details of deposits.						
S. No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP /Others (Specify)	Whether by RTGS/DD/NE FT (Specify)	UTR No./ Application no.	Amount deposited (Rs.)	Date of Deposit	Name of Bank from Which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA AND NPV	RTGS	SBIN22227287640	188172/-	29.09.2022	Union bank of India	1508561140718 253

(RAMESH KUMAR)
Dy. Conservator of Forest
Sri Ganganagar

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2025.01.10 17:11:14 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

(Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in

Phone & Fax No. 0154-2472339)

प्रमाण-पत्र

(Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/140718/2021 में प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया।

(रमेश कुमार)
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2025.01.10 17:11:14 IST
Reason: Approved

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/140718/2021

दिनांक: 08.11.2024

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
श्री गंगानगर,
राजस्थान।

विषय :- अनुपालना रिपोर्ट Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ ()सर्वे/उवसं/2022-23/5983 दिनांक 07/09/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/140718/2021

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं

1 | Page

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

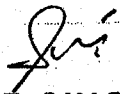
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

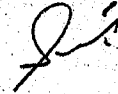
	के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
09.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

11.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,03,600/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 29/09/2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 84,572/- रुपये दिनांक 29/09/2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी


SUDHIR SINGHI
 Deputy General Manager
 Hindustan Petroleum Corporation Limited
 Jaipur Retail Region Office
 Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

	बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BV 959697

शपथ-पत्र

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

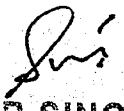
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion : 0.1262 Ha.

Date of Proposal : 10.04.2021

मनके सुधीर सिंधी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर हिन्दुस्तान प्रेट्रोलीयम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।


SUDHIR SINGHI

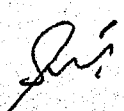
Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

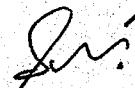
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,03,600/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 29/09/2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 84,572/- रुपये दिनांक 29/09/2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।


SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Jaipur Retail Region Office
Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

15. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

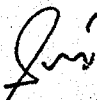
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CLs

12/11

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

५५
१०.११.२०२४
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

(Sudhir Singh)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

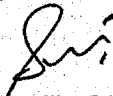
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

CLs
10m
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

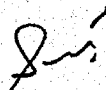
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CLs



रमेश कुमार

उप वन संरक्षक

श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CLs

10/11/24

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

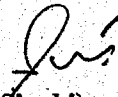
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

९८
10/11/24
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

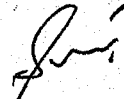
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CL
10/11/24
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-09 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (09) की अनुपालना में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

Cl

10/11/24

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

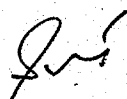
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

९/५
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

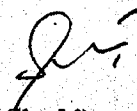
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021.

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,03,600/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 29/09/2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CLs
10/11/24
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 84,572/- रुपये दिनांक 29/09/2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

Yours Faithfully

(Sudhir Singh)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel. Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CL
10/11/2024
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

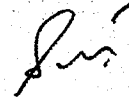
Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी।

Yours Faithfully



(Sudhir Singhi)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CU

10/11/2021

रमेश कुमार

उप वन संरक्षक

श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

(Sudhir Singh)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

CL
/ahm
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Ref.: FP/RJ/ROAD/140718/2021

Date : 08/11/2024

Project Name: - Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/140718/2021).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/140718/2021

Forest land Proposed for Diversion: - 0.1262 Ha.

Date of Proposal: 10.04.2021

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (19) वन / 2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

Yours Faithfully

(Sudhir Singh)

Deputy General Manager

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Regional Office

TEL Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar,

Jaipur-302005

CL

10

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

SUDHIR SINGHI

Deputy General Manager

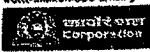
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Jaipur Retail Region Office

Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jyoti Nagar, JAIPUR-302005

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-09-2022

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.
Application No.	61140718253
MoEF/SG File No.	1(19)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	HPCL, Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jaipur
Amount(In Rs)	188172/-

Amount In Words :One Lakh Eighty-Eight Thousand One Hundred and Seventy-Two Rupees Only

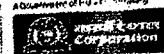
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508561140718253 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-09-2022

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.
Application No.	61140718253
MoEF/SG File No.	1(19)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address:	HPCL, Tel Bhawan, Sahakar Marg, Jaipur
Amount(In Rs)	188172/-

Amount In Words :One Lakh Eighty-Eight Thousand One Hundred and Seventy-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508561140718253 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No. SBIN22227287640

Date :- 29/09/2022

Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No 52, Sector 9/1, Hanumangarh Junction**Phone: 8890075432 Fax: 8890075432**
Registered

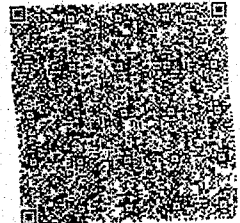
ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No. : F(Tech)/Shri Ganganagar(Suratgarh)/7049(1)/2021-2022/995-996**Order No: 2021-2022/Hanumangarh/8323****Date : 1/02/2022****From :****Regional Officer [Hanumangarh]
Rajasthan State Pollution Control Board,
Plot No 52, Sector 9/1, Hanumangarh Junction****To,****M/s M/S GARVIT FILLING STATION (UnitID:116963)
CHAK 2 DOB GRAM PANCHAYAT 1 L M SURATGARH , SURATGARH Tehsil:Suratgarh
District:Shri Ganganagar**

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 28/12/2021 of your application dated 28/12/2021 for Consent to Establish for (project / process / activity name) **HPCL FILLING** under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 having capital cost of the project Rs. 23.00 Lacs duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. 2,000.00 and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as Consent to Establish, of the State Board, under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 ,to Consent to Establish your industry at **CHAK 2 DOB GRAM PANCHAYAT 1 L M SURATGARH SURATGARH Tehsil:Suratgarh District:Shri Ganganagar** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing)** having adequate arrangements for vapor collection during dispensing as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

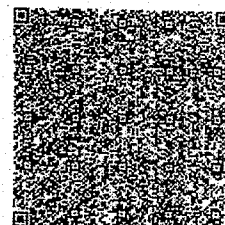
Signature valid**Digitally signed by Amit Soni
Date: 2022.02.01 15:31:19 IST
Reason: Self tested
Location:**

Specific Condition :

- 1 A. That this Acknowledgement is being issued for dispensation of petroleum product (Petroleum Oil & Petroleum Chemical Products: 1950 Lt/Day) at Pathar no. 4/37, Murba No. 19, Kila no. 23/1 Chak 2 D.O.B. Gram Panchayat: 1 L.M, Tehsil- Suratgarh, District-Sriganganagar.
- B. That the industry shall not discharge treated trade or domestic effluent or establish water treatment facility without obtaining prior Consent to Establish and/or consent to operate from the State Board under the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- C. The applicant/Industry/Process/Project shall have to comply with the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and the standards prescribed there under along with the general guidelines and/or direction issued by the Central Pollution Control Board or the Rajasthan State Pollution Control Board time to time.
- D. That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority.
- E. That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/ industry/ process/ Project. The liability of veracity and correctness of the uploaded documents/ information shall solely be of the applicant only.
- F. In case, any direction for closure has been issued by the state board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgement shall not be considered as Consent, in any case and shall be treated null and void.
- G. Any wrong or partial information/ concealment of facts or deviation from material facts shall make this acknowledgement null and void.
- H. That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/ process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted/uploaded at the time of seeking consent.
- I. That submission of any incorrect/partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/ project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, information technology Act, 2000, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of statutes.
- J. This acknowledgment of consent application will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- K. That this acknowledgment of consent application is valid subject to fulfillment of all the other statutory requirements in other Laws / Acts / Rules as applicable.
- L. That the industry shall not dispose of waste materials outside the premises to avoid any possible nuisance to nearby inhabitants. Such waste material shall be collected at one place and shall be disposed of in safe manner.
- M. That the industry shall ensure that noise from the unit does not exceed the prescribed noise standards for industrial area i.e. 75 dB (A) Leg during day time and 65 dB (A) Leg during night time to meet the prescribed ambient noise standards. Day time is reckoned between 6 AM to 10 PM and night time is reckoned between 10 PM to 6 AM. N.
- N. That the industry shall comply with provisions of HWMR Rules, 2016 and shall obtain authorization under HWMR, 2016 (as applicable) within one month of date of issue of this acknowledgement.
- O. That the Fuel Outlet (Petrol Pump) shall comply with the guidelines issued by CPCB vide their letter Office Memorandum no. B-13011/1/2019-20/AQM/10802-10847 dated 07.01.2020.
- 2 a. That unit shall obtain necessary permission from all applicable department in concern i.e. District administration, Boiler & Safety, PESO etc.
- b. That unit shall comply MSIHC Rules, 1989 if applicable.
- c. That unit shall submit copy of valid Insurance policy under Public Liability Insurance Act, if applicable.
- d. That unit shall establish in accordance to land conversion order no. 2690 dated 14/09/2020 by District Collector, Sriganganagar.

Signature valid

Digitally signed by Amit Soni
Date: 2022.12.09 15:31:19 IST
Reason: Self signed
Location:



This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

Regional Officer[Hanumangarh]

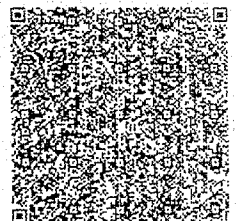
1. Master File.

Regional Officer[Hanumangarh]

Page 3 of 3

Signature valid

Digitally signed by Amit Soni
Date: 2022.02.04 15:31:19 IST
Reason: Self Attested
Location:





ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Tech)/Shri Ganganagar(Suratgarh)/7049(1)/2021-2022/995-996

Order No : 2021-2022/Hanumangarh/8323

From :

Date : 1/02/2022

Regional Officer[Hanumangarh]
Rajasthan State Pollution Control Board,
Plot No 52, Sector 9/1, Hanumangarh Junction

To,

M/s M/S GARVIT FILLING STATION (UnitID:116963)
CHAK 2 DOB GRAM PANCHAYAT 1 L M SURATGARH , SURATGARH Tehsil:Suratgarh
District:Shri Ganganagar

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 28/12/2021 of your application dated 28/12/2021 for **Consent to Establish** for (project / process / activity name) **HPCL FILLING** under **section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** having capital cost of the project **Rs. 23.00 Lacs** duly filled in and accompanied by prescribed fee **Rs. 2,000.00** and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as **Consent to Establish**, of the State Board, under **section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** ,to **Consent to Establish** your industry at **CHAK 2 DOB GRAM PANCHAYAT 1 L M SURATGARH SURATGARH Tehsil:Suratgarh District:Shri Ganganagar** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for the title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing)** having adequate arrangements for vapor collection during dispensing as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

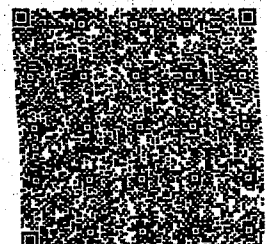
Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Soni

Date: 2022.02.01 15:16:16

Reason: Self Attested

Location:



Specific Condition :

- 1 A. That this Acknowledgement is being issued for dispensation of petroleum product (Petroleum Oil & Petroleum Chemical Products: 1950 Lt/Day) at Pathar no. 4/37, Murba No. 19, Kila no. 23/1 Chak 2 D.O.B, Gram Panchayat- 1 L.M, Tehsil- Suratgarh, District-Sriganganagar.
- B. That the industry shall not discharge treated trade or domestic effluent or establish water treatment facility without obtaining prior Consent to Establish and/or consent to operate from the State Board under the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- C. The applicant/Industry/Process/Project shall have to comply with the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and the standards prescribed there under along with the general guidelines and/or direction issued by the Central Pollution Control Board or the Rajasthan State Pollution Control Board time to time.
- D. That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority.
- E. That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/ industry/ process/ Project. The liability of veracity and correctness of the uploaded documents/ information shall solely be of the applicant only.
- F. In case, any direction for closure has been issued by the state board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgement shall not be considered as Consent, in any case and shall be treated null and void.
- G. Any wrong or partial information/ concealment of facts or deviation from material facts shall make this acknowledgement null and void.
- H. That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/ process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted/uploaded at the time of seeking consent.
- I. That submission of any incorrect/partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/ project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, information technology Act, 2000, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of statutes.
- J. This acknowledgment of consent application will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- K. That this acknowledgment of consent application is valid subject to fulfillment of all the other statutory requirements in other Laws / Acts / Rules as applicable.
- L. That the industry shall not dispose of waste materials outside the premises to avoid any possible nuisance to nearby inhabitants. Such waste material shall be collected at one place and shall be disposed of in safe manner.
- M. That the industry shall ensure that noise from the unit does not exceed the prescribed noise

standards for industrial area i.e. 75 dB (A) Leg during day time and 65 dB (A) Leg during night time to

meet the prescribed ambient noise standards. Day time is reckoned between 6 AM to 10 PM and night time is reckoned between 10 PM to 6 AM. N.

- N. That the industry shall comply with provisions of HWMR Rules, 2016 and shall obtain authorization under HWMR, 2016 (as applicable) within one month of date of issue of this acknowledgement.
- O. That the Fuel Outlet (Petrol Pump) shall comply with the norms issued by CPCB vide their letter Office Memorandum no. B-13011/1/2019-2020 dated 07.01.2020.

Location:

- 2 a. That unit shall obtain necessary permission from all applicable department in concern i.e. District administration, Boiler & Safety, PESO etc.
- b. That unit shall comply MSIHC Rules, 1989 if applicable.
- c. That unit shall submit copy of valid Insurance policy under Public Liability Insurance Act, if applicable.
- d. That unit shall establish in accordance to land conversion order no. 2690 dated 14/09/2020 by District Collector, Sriganganagar.

5-Ft Wide Road, West: Plot No.32 Kham hand Yadav.		
illage Alwar No.02 Alwar Na Plot No.31/1 H No.1267 Near Bhurasidh Alwar ajasthan- 301001. Bounded By- North: th Land, South: Flat No.31/2, East: Road 5 Ft Wide Road, West: Plot No.32 Kham hand Yadav.	15-10-2024 Rs. 47,524.62/-	08/10/2024
lot No.684/8 D Kh No.165 Village Daudpur Alwar Na Plot No.684/8 D Kh No.165 Alwar ajasthan 301001. Bounded By- North: lot No.648 /8C, South: Plot No.684/8E, ast: Road 30 Ft Wide, West: Others Plot.	15-10-2024 Rs. 5,24,474.04/-	08/10/2024
lot No.684/8 D Kh No.165 Village Daudpur Alwar Na Plot No.684/8 D Kh No.165 Alwar ajasthan 301001. Bounded By- North: lot No.648 /8C, South: Plot No.684/8E, ast: Road 30 Ft Wide, West: Others Plot.	15-10-2024 Rs. 51,844.98/-	08/10/2024
lot No.684/8 D Kh No.165 Village Daudpur Alwar Na Plot No.684/8 D Kh No.165 Alwar ajasthan 301001. Bounded By- North: lot No.648 /8C, South: Plot No.684/8E, ast: Road 30 Ft Wide, West: Others Plot.	15-10-2024 Rs. 5,10,774.92/-	08/10/2024

Notice of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as its of outstanding within period of 60 days from the date of a taken as per the provisions of Securitization and Re-construction nterest Act, 2002.

Authorized Officer, ICICI Home Finance Company Limited

www.jaipurwazara.com/jaipur

Sr. General Manager/C&O/Area-1

राजस्थान सरकार

वन विभाग

जयपुर, दिनांक:- 14.03.2022

क्रमांक: प. 1 (19) वन/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1262 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/140718/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (473/41)2021/एफसीए/प्रमुख/258 दिनांक 19.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 46-47 Chainage: 46/037 RHS के मुकब्बा नं. 19, पथर नं. 4/37 किला नं. 23 के ग्राम 2 डी.ओ.बी, तहसील सुरतगढ़, जिला श्री गंगानगर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1262 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम Diversion of 0.1262 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. की सैद्धान्तिक स्वीकृति दो (2) वृक्षों के पालन सहित निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- वाचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की जनसंख्या एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्नानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यव पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिकत पडे स्थानों पर दी गई लम्बाई तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूष निबंधन मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यव पर वन विभाग द्वारा शुरू से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दूरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निर्धारित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा करावी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/पूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मद्देवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की दूरों में बढ़ोतरी होती है तो वही हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियों स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (बी. प्रवीण) शासन सचिव

Regional Stressed Asset Recovery Branch, Baroda Bhawan IInd Floor, 13, Airport Plaza, Durgapura, Tonk Road, Jaipur-302018
Phone No. : 0141-2727166, E-mail: armia@bankofbaroda.com

ble Properties [APPENDIX- II A with Rule 6 (2) for Movable] proviso to 8 (6) for Immovable Property]

Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. arlar to the Borrower(s), Mortgagor(s) and Guarantor(s) that the below described charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the il be sold on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and "Without out/s. The details of Borrower/s/ Mortgagor/ Guarantor/s/ Secured Asset/s/ Dues/ Amount are mentioned below:-

Immovable with if any	Total Dues	Date of E-Auction Time of E-Auction Start Time to End Time	Reserve Price, Earnest Money Deposit (EMD) & Bid Increase Amount	Status of Possession (Symbolic/ Physical)	Property Inspection date & Time
Vo. 1940, 2530 sq. ft., 1941/1 rs.), Near ya Road, Bhiwara /s Simna . (Total 30+2530 charged is Bank.	Rs. 1,35,49,374/- as on 30.06.2024 plus further interest cost, charges & other recovery expenses etc.	27.11.2024 02:00 PM to 06:00 PM (With unlimited extensions of 10 minutes each)	Reserve Price- Rs. 78,20,000/- Earnest Money Deposit- Rs. 7,82,000/- Bid Increase Amount- 50,000/-	Physical	01.11.2024 to 20.11.2024 From 11:00 AM to 4:00 PM
located at Vo. 1940, 2530 sq. ft., 1940/1, 2530 sq. ft., Bera, ge Bera,) in the India Pvt. egistered nes: Not		27.11.2024 02:00 PM to 06:00 PM (With unlimited extensions of 10 minutes each)	Reserve Price- Rs. 34,00,000/- Earnest Money Deposit- Rs. 3,40,000/- Bid Increase Amount- 10,000/-	Physical	01.11.2024 to 20.11.2024 From 11:00 AM to 4:00 PM

ping Complex, RIICO, 2nd Chouraha, Bhiwara-311001 II) Village Bera, NH-79, A-13, and L-13, Bhopalpura Road, Shastri Nagar, Bhiwara-311801 nd L-13, Bhopalpura Road, Shastri Nagar, Bhiwara-311801, Mrs. Samjida Bano A-13, and L-13, Bhopalpura Road, Shastri Nagar, Bhiwara-311801, Mrs. Shana) Plot No. A-13, and L-13, Bhopalpura Road, Shastri Nagar, Bhiwara-311801

to the website link <https://www.bankofbaroda.in/e-also>, prospective bidders may contact the Authorised

Authorised officer, Bank of Baroda

SCAN

HERE

for Details

यक्ष ने किया स्कार वितरण

पीपीएल-3 क्रिकेट प्रतियोगिता

हुए भावना प्रपन्न है वही उसका शरीर भी बलिष्ठ और सुगठित होता है। श्री शर्मा ने कहा कि सुगठित शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है जिससे खेल में भाग लेने वाले युवाओं को किसी नशे की आवश्यकता महसूस नहीं होती है और इसलिए युवाओं के लिए खेल बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है इतने बड़े आयोजन में आपने मुझे आमंत्रित कर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। इस अवसर पर हिमांशु शर्मा ने उपस्थित विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। ज्ञात रहे कि विप्र फाउंडेशन द्वारा नशे का नाश करने और युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तीसरी बार आयोजित होने जा रही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सूरतगढ़ की पावन व ऐतिहासिक धरा पर दिनांक 15 अक्टूबर से गुरुद्वारा के सामने पशु चिकित्सालय के खेल मैदान में किया गया था।



त्योहारी सीजन में लुभावने ऑफर देखकर न करें खरीदारी : एसपी विक्रांत भूषण

सीमा किरण/रमेश भार्गव

ऐलनाबाद। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने आमजन को साइबर ठगी से बचने के लिए आगाह करते हुए बताया है कि ऑनलाइन शॉपिंग जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जोखिम भरी भी हो सकती है। जनता आधुनिकता के इस युग में अपने आप को सतर्क रखें और साइबर ठगों से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। खासकर त्योहारी सीजन के दौरान जब ऑनलाइन डिस्काउंट और ऑफर्स की बाढ़ आती है तो साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते हैं। ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें हमारी विश्व लिस्ट और कार्ट में होती हैं, जिन्हें लेने के लिए हम डिस्काउंट और ऑफर का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो कहीं भारी डिस्काउंट पर दिखता है तो बिना सोचे समझे हम उस संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर देते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह ऑफर नहीं साइबर फ्रॉड का जाल है, जो फेस्टिवल सीजन पर आपके लिए ही बिछाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन ठगी का कोई एक तरीका नहीं है। साइबर ठग कई तरीकों से लोगों को बेवकूफ

बनाते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के बीच ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट लोकप्रिय हैं, इसलिए साइबर ठग नामी शॉपिंग कंपनियों के नाम पर नकली वेबसाइट बनाते हैं और ब्रांडेड सामान को बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑफर के साथ बेचने का दावा करते हैं और उनके लिंक सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं।

राजस्थान सरकार

वन विभाग

जयपुर, दिनांक:- 14.03.2022

क्रमांक: प. 1 (19) वन/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1262 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/140718/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (473/41)2021/एसपीए/प्रमुख/258 दिनांक 19.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वर्तित संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 46-47 Chainage: 46/037 RHS के मुख्या नं. 19, पथार नं. 4/37 किला नं. 23 के ग्राम 2 डी.ओ.बी, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1262 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम Diversion of 0.1262 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan. की सैद्धान्तिक स्वीकृति दे (2) वृक्षों के पालन संरक्षित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- वास्तव विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उस क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन्क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को सोई गैस/कैरोसिन तेल अपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथार काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिकत पड़े स्थानों पर डी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग कुछ लग्ने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूष नियंत्रण मण्डल की अनापति प्रस्तुत करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लगू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को सम्भलित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एच.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निशियां प्रतिपूर्ति योजनाएं निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय की वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छापा प्रति जमा की गई वनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छापा प्रति सक्षित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का भववार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदुपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार लिया जायेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एच.पी.वी. की दरें बढ़ोतरी होती हैं तो वही हुई वन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोक्ता संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को पुनर्र एफसी रिट्टी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (बी. प्रवीण) शासन सचिव

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड, श्रीगंगानगर

क्रमांक : 1118-28

दिनांक : 23/10/24

संशोधित निविदा सूचना

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 07/2024-25 के कार्य क्र. सं. 1 की निविदा दिनांक 23.10.2024 दोपहर बाद 2.00 बजे तक विक्रय कर दिनांक 24.10.2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जानी थी। अपरिहार्य कारणवश कार्य की निविदा दिनांक 05.11.2024 दोपहर बाद 2.00 बजे तक विक्रय कर दिनांक 06-11-2024 को दोपहर बाद 3.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जावेगी।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(मोहन लाल अरोड़ा)

अधिशाषी अभियंता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

नगर खण्ड, श्रीगंगानगर

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ17(1)()न्याय/2021/ 7976

दिनांक : 16.10.2021

प्रेषिति-

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
जयपुर रिटेल क्षेत्र
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय :
17 जमशेद जी टाटा रोड, मुम्बई -400 020

विषय : भूमि प्रत्यावर्तन प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।
प्रसंग : आपका पत्र दिनांक 20.07.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि गांव 2 डीओ-बी, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर के किमी. पत्थर नम्बर 46-47 के दांयी ओर मु0नं0 19, पत्थर नम्बर 4/37, कि0नं0 23 की रूपान्तरित भूमि में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर आवागमन हेतु सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम प्रमाण-पत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.10.2014 द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न:- प्रपत्र-1

(जाकिर हुसैन)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Anneure -1

FORM-1
(FOR LINEAR PROJECTS)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Sri Ganganagar

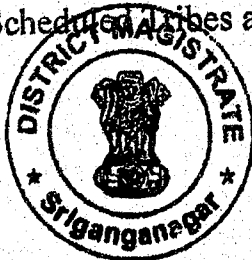
No.F17(1)()Jud./2021/ 7975

Dated : 16-11-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-09/98-FC(pt.) dated 28th October, 2014, it is certified that 0.1262 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Jaipur Retail Region, Reg. Office : 17, Jamshed Ji Tata Road, Mumbai-400 020 for construction of Approach Road for "Suratgarh-Mile 80 Road" (BRO Road) between Km Stone No. 46-47 (Chainage : 46/002-46/037) RHS at Murabba No. 19, Patthar No. 4/37, Killa No. 23 (Purpose for diversion of forest land) in Sriganganagar district falls within jurisdiction of Village 2 DO-B, Tehsil Suratgarh, District SriGanganagar.

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is having plantation, which was notified as "Forest" less than 75 years, prior to the 13th day of December, 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes as per the Census-2001 and Census -2011.



(Zakir Hussain)
District Collector
Sri Ganganagar

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;



: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the payment yet to be made.



: This icon shows that the challan has been generated.



: This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Jaipur	Select State :	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All		
Bank Name :	--Select All--	Mode of Payment :	--Select All--
Transaction Date (From) :		Transaction Date (To) :	
Enter value for Search :	140718		
SEARCH			

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/140718/2021 (./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/140718/2021) Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage: 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village-2 DOB, Tehsil - Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan	ROAD1407182021253	14 Mar 2022	CA: 103600/-Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 84572/- Total :188172/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 27 Sep 2022 Transaction Date : 29 Sep 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/160920220931307103_FPRJROAD1407182021_User_Fund_D Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1407182021253)

Verf
 (दिनेश कुमार गुप्ता)
 जयपुर



(HTTPS://SWACHHBHARAT)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

my gov

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Meity

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

